नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पशु अनुज्ञा शुल्क चैक पोस्ट जमुना ब्रिज(राज घाट) के ठेके का नीलाम दिनांक 06.02.2015 समय 11:00 बजे दिन स्थान कार्यालय जिला पंचायत सहारनपुर में दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए किया जायेगा। उक्त नीलाम मे भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत की छाया प्रति तथा 20 लाख रू0 की हैसियत प्रमाण पत्र एंव 2 लाख रू0 की अधोहस्ताक्षरी के पद नाम पर एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 बन्धक कराकर नीलाम से पूर्व प्रस्तुत या नकद जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता को 1/3 धनराशि बोली छुटने के तुरन्त बाद जमा करना होगा। यदि उक्त दिनांक को ठेको का नीलाम नहीं हो पाता तो उक्त ठेको का प्रत्येक सोमवार को कार्यालय में नीलाम होने तक किया जाता रहेगा। ठेके से सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। नीलाम सूचना WWW.SAHARANPUR NIC .IN पर डाउनलोड एंव देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सहारनपुर

कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर

पत्रांक 4093/जि0पं0/2014-15 दिनांकः- 19/1/15

प्रतिलिपिः-

1. विज्ञापन सम्पादक दैनिक .... सहारनपुर को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में एक बार प्रकाशित कर बिल समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित इस कार्यालय में यथा शीध्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. जिला न्यायाधीश,सहारनपुर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. नीलाम समिति के सदस्यो को इस आश्य से कि वह नियत दिनांक को नीलाम की कार्यवाही सम्पन्न करायें।
5. इच्छुक ठेकेदारो हेतु एंव नाटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
7. जिला विज्ञान अधिकारी सहारनपुर को सी.डी. को इन्टरनेट के माध्यम से डाउनलोड कराने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सहारनपुर
17/1/15

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सहारनपुर द्वारा बनाये गये उपनियमो शर्तो के अनुसार किराये पर चलने वाली रिक्शा, तांगा, बोगी आदि के ठेके का सार्वजनिक नीलाम दिनांक 05.02.2015 को समय 12.00 बजे दिन में कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर के सभाकक्ष में दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए किया जायेगा। उक्त नीलाम की जमानत अंकन 30,000—00रू0 नीलाम से पूर्व नीलाम समिति के पास नगद धरोहर धन के रूप में जमा करानी होगी। बोलीदाता को अपना चरित्र प्रमाण प्रत्र जो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हो, की छाया प्रति नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उच्चतम बोलीदाता को एक वर्ष की बोली का सम्पूर्ण धन बोली छूटने के तुरन्त बाद जमा करना होगा। यदि उक्त दिनांक को ठेके का नीलाम नहीं हो पाता तो उक्त ठेके का प्रत्येक सोमवार को कार्यालय में नीलाम होने तक किया जाता रहेगा। ठेके से सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। नीलाम सूचना WWW.SAHARANPUR NIC .IN पर डाउनलोड एंव देखी जा सकती है।

अपर मुख्य,अधिकारी
जिला पंचायत,सहारनपुर।

कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर।

पंत्राक 4092/जि0पं0/सा0/2014-15 दिनांक 19/1/15

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. दैनिक जागरण व दैनिक हिन्दुस्तान समाचार मे शासकीय दरो पर कम से कम स्थान मे छपवाकर बिल समाचार पत्रो की दो प्रतियो सहित भुगतान हेतु कार्यालय मे प्रस्तुत करे।
2. जिला न्यायालय, सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु.।
3. जिलाधिकारी,सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत,सहारनपुर।
6. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
7. जिला पंचायत, सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला विज्ञान अधिकारी सहारनपुर को सी.डी. को इन्टरनेट के माध्यम से डाउनलोड करायें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सहारनपुर।
17/1/15